

FORM NO III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- सांवरिया लाल पुत्र मोहनलाल जाति माली निवासी ग्राम अराई तहसील अराई अजमेर राज व अन्य।
-प्रार्थीगण।

बनाम

- किशनी पत्नी गणेश जाति जाट निवासी सील तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य
-अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि01955

नंबर 6 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 29

वकील प्रार्थी :- अशोक शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
03/11/2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से वकील प्रार्थी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगणों की तलबी जरिये सि. सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 03/11/2024 को पेश हो।	
03/12/24	पत्रावली पेश हुई / वकील पक्षकारान् उप. / हेतु समय चाह/बास्ते... दिनांक 14/6/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी अंराई	
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप. / P.O. साक्ष्य सुनाय कार्य/बास्ते... दिनांक 8/6/24 को पेश हो।	
08/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उप. / अंराई अदालत / अंराई अजमेर राज. व अन्य को पेश किया गया। पत्रावली दिनांक 21/9/2024 को पेश हुई।	under taking अंराई को 6.9 को कोर है अंराई रामेश्वर लाल

नंबर २
अहमदाबाद
डुकान के
जारी हुए

31/10/25

पत्रावली वेशा दुई वकील फ़ावादा अमु।
न्यायालय समझ में रुक-रुककर लिनमद
आवादे लगायी गयी। वकील पत्रावादा
अमु रहीं पत्रावली अदम हाजरी एवं
अदम पैरवी में खारिज ही जाती है पत्रावली
फैसल शुमाट होकर नम्वर समझ हो।
WB